BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 21 नवम्बर, 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर एक नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोपी को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त कन्हैया पुत्र सतेन्द्र खटीक निवासी सासोल थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना शिकारपुर क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 07.01.2014 को थाना शिकारपुर पर मुअसं- 07/14 धारा- 363,366,354 भादवि व 8 पोक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 17.05.2014 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 21-11-2023 को मा0 न्यायालय पोक्सो-02 जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कन्हैया को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 18 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील कुमार व श्री महेश राघव का योगदान सराहनीय रहा है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर